



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University Established by the Central Universities Act 2009 No.25 of 2009)


कमांक 197 /स्था/प्रशा/2015

बिलासपुर, दिनांक : 09/02/2015

## ॥ कार्यालयीन ज्ञाप ॥

विश्वविद्यालय में आगंतुक अतिथियों के आवास/जलपान/भोजन की व्यवस्था सक्षम स्वीकृति के उपरान्त जवाहर सदन अतिथि गृह में की जाती है। विभिन्न शैक्षणिक विभागों, प्रोटेक्टॉल, अन्य संस्थान द्वारा आगंतुक अतिथियों पर होने वाले व्यय को विलम्ब से जमा किये जाने पर वित्त/अंकेक्षण विभाग द्वारा आपत्ति की जाती है। ऐसी किसी अप्रिय स्थिति न हो इस हेतु जवाहर सदन अतिथि गृह में अग्रिम राशि जमा किये जाने के बाद ही आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था मान्य की जाती है। आगंतुक अतिथियों के आगमन के 01 दिवस पूर्व संबंधित विभाग/व्यक्ति/संस्थान अतिथि गृह कार्यालय से सम्पर्क कर उक्त राशि जमा करने उपरान्त ही व्यवस्था की जावेगी।

आदेशानुसार


  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 09/02/2015

पृ० कमांक 198 /स्था/प्रशा/2015

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक को माननीय कुलपति जी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. अधिष्ठाता-छात्रकल्याण/कुलानुशासक/मुख्य छात्रावास अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. विभागाध्यक्ष संगणक संस्थान की ओर इस निवेदन के साथ कि वेब पटल पर अपलोड करने बाबत।
05. जन सम्पर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

४

CS/17/1179  
09/02/15